न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 79/2022

शीर्षक

1. धूणाराम पुत्र स्व. रामसहाय जाति अहीर निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. बंशी पुत्र स्व. भगवान सहाय
2. हरि पुत्र स्व. भगवान सहाय
   जाति अहीर , निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।
4. प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

5. मुरली पुत्र स्व.रामसहाय
6. बिदामी देवी पुत्री स्व. रामसहाय
   जाति अहीर निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 04/1/2023

करण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 346/0.15 है0, 347/0.09 है0, 348/0. 6 है0, 349/0.23 है0, 350/0.65 है0, 351/0.24 है0, 352/0.22 है0, 353/0.12 है0, 354/0.22 0, 355/0.05 है0, 356/0.21 है0,357/0.18 है0, 358/0.24 है0, 359/0.15 है0, 360/0.23 है0, 06/0.29 है0, 507/0.25 है0, 508/0.69 है0, 509/0.47 है0, 510/0.54 है0, 519/0.51 है0, 520/0. 4 है0, 521/0.24 है0, 536/0.36 है0, 537/0.34 है0 कुल किता 25 कुल रकबा 7.31 है0 वाकै ग्राम ोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

ाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात मे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पिता स्व. रामसहाय का /16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रहा है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी का सजरा खानदान निम्न प्रकार

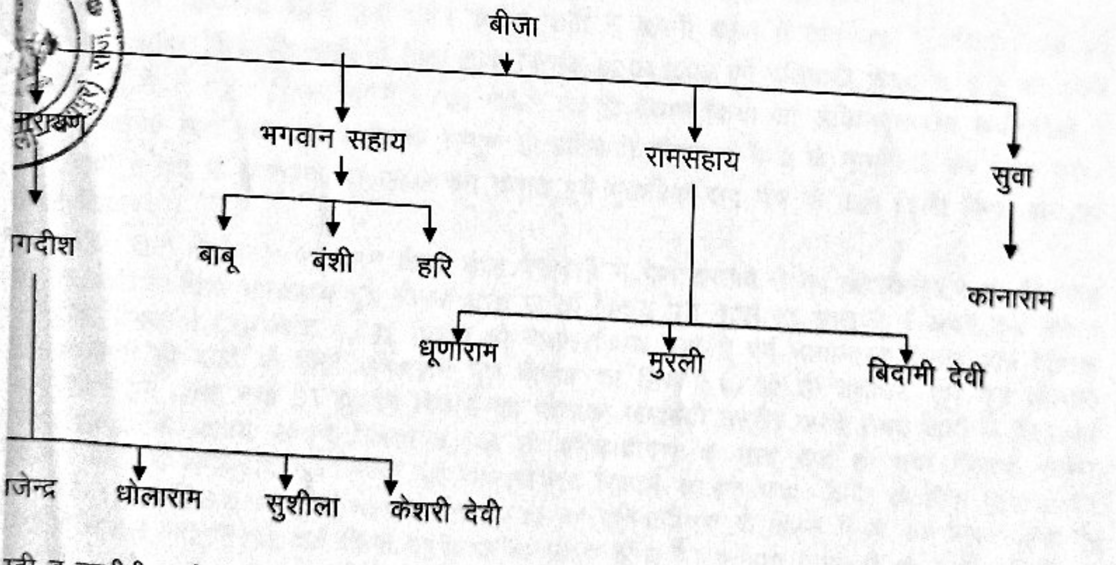

ादी व तरतीबी वादी के पिता स्व. रामसहाय द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में अपने /16 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा यानि अपना 1/32 हिस्सा को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये विक्रय त्र द्वारा दिनांक 02.04.2003 का बेचान कर दिया था तथा शेष 1/32 हिस्सा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता के पास रह गई थी। परन्तु केता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नामान्तरण दर्ज करते वक्त ादीगण के पिता का सम्पूर्ण हिस्सा 1/16 ही दर्ज हो गया।

ाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के 1/32 हिस्से व पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता था उसके फौत होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि... ...पुर) राज.

उक्त वर्णित आराजीयात पर बैंक से लोन लेने हेतु राजस्व रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि उक्त खाते में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इस पर वादी पिछला राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर राजस्व रिकार्ड में हुई गलती का पता चला तो इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार शाहपुरा से निवेदन किया तो तहसीलदार साहब द्वारा वादी को आश्वासन दिया कि यह गलती राजस्व कर्मचारियों द्वारा हुई है जिसे दुरूस्त कर देगे। वादी द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने के उपरांत भी प्रतिवादी सं. 3 द्वारा उक्त राजस्व गलती दुरूस्त नही किया तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया। अर्सा 15 दिन पूर्व जब वादी अपनी उक्त आराजीयात पर खरीफ की बुवाई कर रहा था तो इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी से कहा कि हम तुम्हे काश्त नही करने देगें। आपका नाम रिकार्ड में नही है इस पर वादी द्वारा बडी मुश्किल से उन्हे समझाया कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से हमारा हिस्सा भी आपके दर्ज हो गया जिन्हे हम दुरूस्त करवा लेगे। इस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने एलानियां धमकी दी कि जल्दी ही दुरूस्त करवा लेना अन्यथा हम तुम्हे उक्त आराजीयात में काश्त नही करने देगे। इस पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 3 से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा कहा कि मैं इस राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को दुरुस्त नही कर सकता। आप न्यायालय में जाकर चाराजोही करे। इसलिये उक्त दावा मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 346/0.15 है0, 347/0.09 है0, 348/0.26 है0, 349/0.23 है0, 350/0.65 है0, 351/0.24 है0, 352/0.22 है0, 353/0.12 है0, 354/0.22 है0, 355/0.05 है0, 356/0.21 है0, 357/0.18 है0, 358/0.24 है0, 359/0.15 है0, 360/0.23 है0, 506/0.29 है0, 507/0.25 है0, 508/0.69 है0, 509/0.47 है0, 510/0.54 है0, 519/0.51 है0, 520/0.34 है0, 521/0.24 है0, 536/0.36 है0, 537/0.34 है0 कुल किता 25 कुल रकबा 7.31 है0 वाकै ग्राम खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित वादी व तरतीबी प्रतिवादी का 1/32 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके नाम 1/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 1/32 हिस्सा हजब किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हिस्सा 1/32 में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नही करें, शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

वाद पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत तलवी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में नारायण पुत्र झूथाराम जाति अहीर निवासी खोरी का तथा वादी स्वयं धूणाराम के शपथ पत्र पेश किये। वादी की दावे के समर्थन में पेश रिकार्ड पर प्रदर्श डलवाये गये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि वादी के पिता द्वारा दिनांक 02.04.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने 1/16 हिस्से मे से 1/2 हिस्सा यानि 1/32 हिस्से का ही बेचान किया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने वादी के पिता के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा सम्पूर्ण ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया। वकील वादी ने अंत में दस्तावेज का अवलोकन कराते हुये मुताबिक वाद पत्र के दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे पेश दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी के पिता रामसहाय पुत्र बीज्या द्वारा जरिये विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी में अपने दर्ज हिस्सा 1/16 का हिस्सा 1/2 अर्थात 1/32 हिस्सा ही बेचान किया गया है एवं नामान्तरण संख्या 379 दिनांक 02.05.2003 में भी वादी के पिता रामसहाय पुत्र बीज्या का हिस्सा 1/32 ही बंशीधर, हरि पुत्र भगवान सहाय को बेचान किया गया है। राजस्व रिकार्ड का चौसाला जमाबंदी तहरीर करते समय वादी के पिता का हिस्सा 1/32 के बजाय सम्पूर्ण हिस्सा 1/16 ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया जिसके कारण वादीगण के पिता रामसहाय पुत्र बीज्या का नाम राजस्व रिकार्ड से हट गया। वादी के पिता द्वारा बेचान किये गये 1/16 हिस्सा के 1/2 भाग अर्थात 1/32 का प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम करके वादी के पिता के नाम 1/32 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि उनके द्वारा कय की गई भूमि से अधिक दर्ज होना साबित होता है। इस प्रकार दावा वादी के हक में डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी डिकी किया जाता है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 346/0.15 है0, 347/0.09 है0, 348/0.26 है0, 349/0.23 है0, 350/0.65 है0, 351/0.24 है0, 352/0.22 है0, 353/0.12 है0, 354/0.22 है0, 355/0.05 है0, 356/0.21 है0,357/0.18 है0, 358/0.24 है0, 359/0.15 है0, 360/0.23 है0, 506/0.29 है0, 507/0.25 है0, 508/0.69 है0, 509/0.47 है0, 510/0.54 है0, 519/0.51 है0, 520/0.34 है0, 521/0.24 है0, 536/0.36 है0, 537/0.34 है0 कुल किता 25 कुल रकबा 7.31 है0 वाकै ग्राम खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से 5/96, 5/96 मे से 1/64, 1/64 कम करके वादी के पिता रामसहाय पुत्र बीज्या जाति अहीर निवासी खोरी तहसील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

शाहपुरा जिला जयपुर हिस्सा 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/1/2023..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट मय पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 79/2022

शीर्षक

1. धूणाराम पुत्र स्व. रामसहाय जाति अहीर निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. बंशी पुत्र स्व. भगवान सहाय
2. हरि पुत्र स्व. भगवान सहाय
जाति अहीर , निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा , जिला जयपुर ।
4. प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

. मुरली पुत्र स्व.रामसहाय
. बिदामी देवी पुत्री स्व. रामसहाय
जाति अहीर निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 88,89,188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 24-1-2023

तः दावा वादी डिकी किया जाता है तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 346/0.15 है0, 347/0.09 है0, 48/0.26 है0, 349/0.23 है0, 350/0.65 है0, 351/0.24 है0, 352/0.22 है0, 353/0.12 है0, 54/0.22 है0, 355/0.05 है0, 356/0.21 है0,357/0.18 है0, 358/0.24 है0, 359/0.15 है0, 360/0.23 0, 506/0.29 है0, 507/0.25 है0, 508/0.69 है0, 509/0.47 है0, 510/0.54 है0, 519/0.51 है0, 20/0.34 है0, 521/0.24 है0, 536/0.36 है0, 537/0.34 है0 कुल किता 25 कुल रकबा 7.31 है0 वाकै ग्राम खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से 5/96, 5/96 से 1/64, 1/64 कम करके वादी के पिता रामसहाय पुत्र बीज्या जाति अहीर निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हिस्सा 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/1/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ——— रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज